



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- pccf-development@gov.in, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबो-23/2019-46 दिनांक : २०/१/२०२०

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/दुमका वन प्रमण्डल,
दुमका/धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद ।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में
कार्यान्वित की जाने वाली "सिल्विकल्चरल ऑपरेशन" योजना (अनुसूचित
जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बौंस वनों में कंजेशन
(Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्य हेतु ₹ 0 115.577 (एक करोड़
पन्द्रह लाख सन्तावन हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन
उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/योबो-30/2019-51/स्वी0 व0प0 दिनांक
24.10.2019 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/योबजट-30/2019-
103/आ0 व0प0 दिनांक 07.01.2020 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य
शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित
जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-40 सिल्विकल्चर ऑपरेशन योजना के
अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल ₹ 0
115.577 (एक करोड़ पन्द्रह लाख सन्तावन हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप
आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601789400103	107.927
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601789400323	7.650
कुल :-		115.577

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उप आवंटन आदेश के
अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा राशि की निकासी
संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी एवं अपने सम्मुख अंकित कार्यों की
राशि से अपने कार्यालय के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं ससमय भौतिक एवं वित्तीय
प्रगति प्रतिवेदन से इस कार्यालय को अवगत करेंगे। कार्य दर अनुलग्नक-2 पर, स्थल
विवरणी अनुलग्नक-3 पर तथा ऑन-लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-4 पर
द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601789400103 एवं 19S240601789400323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित वन संरक्षक स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे की स्वीकृत स्थलों का घनत्व खुले वन/सामान्य सघन वनों की श्रेणी में आते हैं, जिसे स्थलीय निरीक्षण के अनुसार भारतीय वन सर्वेक्षण के मानचित्र में दिखाये गये घनत्व के अनुसार सही पाया गया है। कार्य शुरू करने के पूर्व सभी स्थलों पर Photography/ Videography करवाई जायेगी, ताकि वनों की वस्तुस्थिति जानी जा सके। अगले वर्ष अप्रैल—मई में पुनः Photography/ Videography करवाई जाएगी, ताकि वनों के प्राकृतिक पुर्जनन विधि से करवाये गए कार्यों से वनों के घनत्व में आए परिवर्तन को देखा जा सके।

6. इस योजना में प्राकृतिक रूप से पुनर्जनन होने वाले अवकृष्ट वनों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी वन प्रमंडलों को Digital Map भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण, 2017 के अनुसार प्रमंडल के वनों का Density wise वर्गीकरण है। कार्य प्रारम्भ के पूर्व सभी संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी/वन क्षेत्र पदाधिकारी स्थलीय भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित स्थल उपर वर्णित श्रेणी में आते हैं। इन स्थलों के घनत्व में आए बदलाव को आनेवाले समय में भारतीय वन सर्वेक्षण के Digital Map से देखकर योजना की सफलता/उपयोगिता भी आंकी जा सकेगी।

7. वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, झारखण्ड, राँची द्वारा विभिन्न मॉडल द्वारा बॉस वनों का सघनता (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन कार्यों के प्रभाव का तुलनात्मक शोध अध्ययन किया गया है, जिसकी Soft copy इस पत्र के साथ संलग्न है। बॉस वनों में कंजेशन हटाने एवं वन वर्द्धन कार्य शोध में वर्णित Model-III के अनुसार ही किया जायेगा। इस मॉडल पर कार्य करते समय यदि कोई कठिनाई आए तो मुख्य वन संरक्षक, शोध से संपर्क कर मार्ग निदेश माँगा जा सकता है।

8 Silviculture operation की योजना के अंतर्गत बॉस बखार की सफाई के लिए व्यय हेतु एक हेक्टेएर में 200 बखार की संख्या मानक मानी गई है एवं उसी अनुरूप राशि का व्यय किये जायेंगे।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

10. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय—समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास से उप आवंटन प्राप्त हाने के उपरांत की जाएगी।

11. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम—174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।

12. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा एवं इस योजनान्तर्गत कुल व्यय प्राक्कलन के अधीन होगा।

13. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

14. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जाएगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 940 दिनांक 16.03.2016 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।


18. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01 / यो0ब0-23 / 2019- 46 दिनांक- 20/1/2020

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/बोकारो/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/दुमका/बोकारो/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

~

ज्ञापांक— ०१ / यो०ब०—२३ / २०१९—५६

दिनांक— २०/१/२०२०

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, देवघर / दुमका / धनबाद
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

प्रधान मुख्य कम संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

20/1/2020

~

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत बाँस वनों में कंजेशन (Congestion) हटाना एवं वन वर्द्धन का अग्रिम कार्य का प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु 249.83 प्रति मानव दिवस)

क्र० सं०	वन प्रमण्डल/कार्यालय का नाम	भौतिक लक्ष्य (हेक्टर)	2019-20 (अग्रिम कार्य)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं साप्रग्री	कुल
			23983.68	1700.00	25683.68
1	देवघर वन प्रमंडल, देवघर	200	47.967	3.400	51.367
2	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	150	35.976	2.550	38.526
3	धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद	100	23.984	1.700	25.684
योग		450	107.927	7.650	115.577

प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास,
झारखण्ड, राँची।



“सिल्वीकल्चर ऑपरेशन योजना” के अंतर्गत बाँस बखारों की सफाई हेतु वन-वर्द्धन के कार्यों की दर तालिका

मजदूरी दर - 249.83 रु0

प्रति 200 बाँस बखार (मानक संख्या प्रति हेठो)

(राशि रूपये में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि	अभ्युक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A वित्तीय वर्ष 2019–20 में अग्रिम कार्य (प्रथम वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 249.83						
1	सर्वे, सीमांकन एवं बखार का नंबरिंग	3	749.49	0.00	749.49	
2	बाँस बखारों (Clumps) की सफाई एवं Silviculturally available बाँसों का विदोहन कार्य (200 बखार प्रति हेठो की मानक संख्या से)	40	9993.20	200.00	10193.20	बड़े बाँस बखारों के सुगम विकास हेतु आवश्यकतानुसार बखार को दो या अधिक भाग में विभक्त करना।
3	वनों में आंतरिक अग्नि रेखा की सफाई, 5 मीटर चौड़ा (प्रत्येक 250 मीटर पर) एवं स्थल से सफाई किए गए बाँसों को हटाना	10	2498.30	0.00	2498.30	
4	बखारों के चारों ओर 1.5 फीट गोलाई में निकोनी एवं मिट्टी को हल्का करना तथा खाद डालना	20	4996.60	1500.00	6496.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
5	राइजोम प्रिजरवेशन हेतु बखारों में कोड़नी/निकोनी क्षेत्र के बाहर 1 फीट गोलाई में मिट्टी लेकर बखारों पर चढ़ाना	20	4996.60	0.00	4996.60	एक मानव दिवस में 10 बखारों में कार्य किया जाएगा
6	सुरक्षा (करील की चराई एवं अग्नि से सुरक्षा)	3	749.49	0.00	749.49	सफाई के दौरान निकले राइजोम को उन खाली स्थलों पर लगाना, जहाँ बाँस बखारों की संख्या 200 प्रति हेठो से कम है।
	कुल	96	23983.68	1700.00	25683.68	

प्रधान मुख्य वन सेक्टर विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2020-21 तक कार्यान्वयन की जाने वाली "सिल्वीकल्वरल ऑपरेशन योजना" (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अंतर्गत बाँस वर्नों में कंडोशन (Congestion) हटाना एवं वन-वर्क्स कार्य का स्थल विवरण।

क्रम संख्या	वन प्रमङ्गल का नाम	वन प्रक्षेत्र का नाम	प्रखण्ड का नाम	PF/RF का नाम	स्थल का नाम	थाना / थाना संख्या	जी०पी०एस० को-ऑफिनेट	ज्लॉट नंबर	स्थेत्रफल (हेक्टेक)
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	ix	x
1	देवधर वन प्रमङ्गल, देवधर	देवधर		दिघरिया पहाड़	देवधर-114, 132	N24°30'19.70"E E086°35'58.11"	1	75	
		सारठ		फुलजोरी पहाड़	सारठ-428	N24°14'52.21"E E086°55'29.11"	IP, 2P	40	
		मोहनपुर		तिरस पहाड़	देवधर-862	N24°28'55.23"E E086°51'08.49"	1	50	
	भू-संरक्षण प्रक्षेत्र, मधुपुर	सारठ		सोनातरी	सारठ-537	N24°05'53.82"E E086°47'47.17"	32, 37P, 444P, 446P, 747P	35	
				योग :-				200	
2	तुमका वन प्रमङ्गल, तुमका	तुमका दामिन प्रक्षेत्र, काठीकुण्ड	हिल ल्यॉक पार्ट-4 (लालपहाड़ी, कटरसाठी, लकड़ाफला, चोदार)	काठीकुण्ड-28	N24°24'08.64"E E87°27'16.70" N24°24'14.63"E E87°27'25.84"	आरएफ० हिल ल्यॉक		150	
				योग :-				150	
3	धनबाद वन प्रमङ्गल, धनबाद	तोपचांची	तोपचांची	राजाबास पहाड़	तोपचांची-188			20	
		गोविन्दपुर		कोलाकुसमा, ढांगी	झारिया-12, 16			10	
		गोविन्दपुर		पहडुपुर-झिनुआ	गोविन्दपुर-30, 208			50	
		धनबाद		झेया	झारिया-6			20	
				योग :-				100	
				कुल योग :-				450	

प्रधानमंत्री वन संरक्षक, विकास,
ज्ञारखण्ड, राँची



झारखण्ड सरकार

आवंटन आदेश

झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-23/2019/46

दिनांक -

20-Jan-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	80883	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	4,796,700.00 रुपये सैतालीस लाख छयानवे हजार सात सौ
2	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	80884	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	3,597,600.00 रुपये पैतीस लाख सित्तानवे हजार छः सौ
3	S 19 240601789400103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA	80885	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	2,398,400.00 रुपये तेइस लाख अठानवे हजार चार सौ

10,792,700.00

योग:

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड़ सात लाख बयानवे हजार सात सौ

(SRI VIKRAM SINGH SAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601789400323	80886	DGRFORE88 PREMJIT ANAND DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	340,000.00 रुपये तीन लाख चालीस हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
5	S 19 240601789400323	80887	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.P.O.DUMKA	255,000.00 रुपये दो लाख पचपन हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
6	S 19 240601789400323	80888	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	170,000.00 रुपये एक लाख सत्तर हजार
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 40 - 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री State Scheme State Scheme : SILVICULTURAL OPERATIONS(0348) Central Scheme : NA			
				765,000.00
योग:				11,557,700.00
क्रमिक योग:	रुपये एक करोड़ पंद्रह लाख सत्तावन हजार सात सौ			

(SRI VIKRAM SINGH GAUR IFS)

PCCF.DEV.JHARKHAND RANCHI